दिनांक 11.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अन्तर्गत राऊ नदी अन्नेकी हेतमपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अन्तर्गत राऊ अन्नेकी हेतमपुर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन, परिसर अन्नेकी में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही। अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 11.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के, अन्नेकी हेतमपुर के निकट राऊ नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अन्तर्गत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 64.89 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 8.30 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी; और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 7.16 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री सुमित सिंह, उप प्रधान ग्राम अन्नेकी द्वारा बताया गया कि खनन नियमानुसार होने हेतु सरकारी तन्त्र की सजगता अत्यन्त आवश्यक है। खनन इस क्षेत्र में राजगार का एकमात्र साधन है तथा खनन विरोधी संस्थायें मात्र अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वार्थपूर्ण कार्य करती है। घाड़ क्षेत्र में

स्थानीय लोगों का जीवीकोपार्जन खनन से ही जुडा हुआ है। अतः खनन नियमानुसारव वैज्ञानिक तरीके से होना अत्यन्त आवश्यक है। सीमित खनन होना चाहिये तथा तटबन्धों से निश्चित दूरी छोडते हुये ही होना चाहिये।

2. श्री बबलु ग्राम पंचायत सदस्य अन्नेकी द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि वर्तमान में राऊ नदी का बहाव गांव अन्नेकी की तरफ आ रहा है, जिससे गांव को खतरा है। अतः खनन होने से पूर्व गांव के समीप नदी पर तटबन्ध बनाया जाना आवश्यक है। यह भी बताया गया कि खनन में स्थानीय निवासियों को रोजगार एवं उनके वाहनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों को खनन सामग्री उठाने पर रोयल्टी एवं अन्य कर में छूट मिलनी चाहिये। इस पर परियोजना के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निगम द्वारा खनन होने पर स्थानीय लोों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित रायल्टी के अतिरिक्त अन्य कोई टैक्स देय नही होगा। तटबन्धें के निर्माण हेतु सक्षम विभाग को प्रस्ताव भेजा जायेगा तथा नदी का सीमान्कन होने के पश्चात ही खनन का कार्य किया जायेगा। इस आश्वासन पर श्री बबलु द्वारा पुनः कोई भी रायल्टी एवं टैक्स में छूट की बात कही गयी।

3. श्री गेलाराम द्वारा बताया गया कि नदी के बहाव से लोगों की जमीनों का कटाव हो रहा है तथा अवैध खनन हो रहा है। उनके द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाना तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता की बात कही गयी है। इस पर परियोजना के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निगम द्वारा खनन होने पर स्थानीय लोों को ही प्राथमिकता दी जायेगी, वैज्ञानिक तरीके से खनन होने पर नदी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नही होगा। खनन निश्चित गहराई तक ही किया जायेगा।

4. ग्राम प्रधान अन्नेकी श्री संजयपाल द्वारा बताया गया कि पूर्व में हुये अवैध खनन से स्थानीय ग्राम वासियों की जमीनें नदी में बह रही है। अतः सर्वप्रथम तटबन्धों का निर्माण कराया जाये जिसमें प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है। उनके द्वारा ग्रम पंचायत सदस्य श्री बबलु की बात का समर्थन किया गया कि स्थानीय निवासियों को खनन सामग्री उठाने पर रोयल्टी एवं अन्य कर में छूट मिलनी चाहिये।

5. श्री अमित चौहान द्वारा कहा गया कि लोक सुनवाई हेतु व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिये तथा खनन के नुकसान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भू–गर्भीय जल स्तर अत्यन्त नीचे चला गया है। कटान होने से कई सौ बिघा जमीन का नुकसान हो गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि लोक सुनवाई हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 03.07.14 को प्रकाशित हो चुकी थी।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा राऊ नदी अन्नेकी हेतमपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सभा में उपस्थित मात्र एक व्यक्ति, श्री सुमित सिंह के अतिरिक्त हाथ उठाकर खनन के विरोध में मतदान किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय मात्र एक व्यक्ति श्री सुमित सिंह द्वारा खनन के पक्ष में हाथ उठाकर मतदान किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुक्रम में वैज्ञानिक तरीके से राऊ नदी अन्नेकी हेतमपुर से उप खनिज चुगान की असहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदायं को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्कांडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल समन्वयक, गंढवाल मंडल विकास निगम, हरिद्वार	डॉ0 अंकुर कंसल क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी (वित्त) जिला हरिद्वार

<u>दिनांक 11.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी आनेकी–हेतमपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति</u>

कम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चीमा, अपर जिलाधिकारी (वित्त) हरिद्वार	
2	एम.डी. डौंडियाल, [illegible], GMVN	
3	डा० अंकुर कंसल, क्षेत्रीय अधिकारी प्र० नि० बो० रुड़की	11.8.14
4	अनुराग नेगी, अवर अभियंता, प्र० नि० बो० रुड़की	
5	समरसिंह	समरसिंह
6	गोलाराम	गोलाराम
7	कुरड़ा सिंह	कुरड़ा
8	ओमी चन्द	
9	[illegible]	
10	चरन सिंह	
11	हीरा	हीरा
12	विनोद सिंह	
13	सतेन्द्र सिंह	
14.	रियासत अली	
15.	ओमवीर आनेकी	
16.	वीरेन्द्र कुमार आनेकी	
17.	ऋषिपाल	ऋषिपाल
18.	बबलू	पचायत सदस्य

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19	डा॰चन्द्रपालयादव ग्रामप्रधान	[illegible]
20	मनवीर	मनवीर
21	जयप्रिपाल	जयप्रिपाल
22	ईश्वर	ईश्वर
23	अरविन्द	रोजापाल
24	कामेश्वर	~~रामपाल~~ कामेश्वर